आर.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00280

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 95/2015 (रामचन्द्र बनाम मांगीलाल वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 19.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.09.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का निराधनू की सरहद में भूमि गत ख0न0 195/8 तादादी 38 बीधा जिसके हाल ख0न0 289 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं, 290 रकबा 0.05 है0, 291 रकबा 2.30 है0, 292 रकबा 7.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.61 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर—बराबर के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 19.09.2022 को जारी की गई।

19/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 95 / 2015

1. रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा जाति नायक निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू।
2. लिक्षमा देवी पुत्री गोविन्दा स्त्री सुखदेवा जाति नायक निवासी अलसीसर हाल निवासी नवां तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3. बनारसी देवी पुत्री गोविन्दा स्त्री प्रभूराम जाति नायक निवासी अलसीसर हाल निवासी नवां तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4. दुर्गा देवी पुत्री गोविन्दा स्त्री रामलाल जाति नायक निवासी अलसीसर हाल निवासी-बाडेट जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र परतुराम जाति नायक निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. लीलाधर पुत्र परतुराम जाति नायक निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री शिवनारायण सिंह
वकील प्रतिवादी –

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.09.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का निराधनू की सरहद में भूमि गत ख0न0 195 / 8 तादादी 38 बीधा जिसके हाल ख0न0 289 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं, 290 रकबा 0.05 है0, 291 रकबा 2.30 है0, 292 रकबा 7.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.61 है0 भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि गोविन्दा पुत्र भींवा की-खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। गोविन्दा की मृत्यु होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के टिनेन्सी राईटस उतराधिकार में सुयक्त रूप से बाहिस्सा वादीगण को प्राप्त हुये एवं इसी मुताबिक जमीन जैर बहस पर काबिज काश्त हुये। वादीगण का पिता गोविन्दा अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश काभोला व्यक्ति था जो मजदुरी करने के लिये अधिकतर पंजाब राज्य में रहता था। समयानुसार अपने ग्राम अलसीसर में आता जाता रहता था तथा जमीन जैर बहस को काश्त करता था। वादीगण के पिता के देहान्त होने के वादीगण भी अधिकतर पंजाब राज्य में मजदूरी के लिये जाते रहते थे एवं समयानुसार अपने पैतृक गांव आया जाया करते थे तथा जमीन जैर बहस पर काश्त करते थे। प्रतिवादीगण 1 व 2 का पिता परतुराम पुत्र रामूराम तथाकथित पुत्र गोविन्दा बहुत ही चालाक एवं शिक्षित व्यक्ति था। जो वादीगण

उप खण्ड दण्ड नायक मलसीसर (राज.)

पेता गोविन्दा के जान पहचान का व्यक्ति था तथा ग्रांव अलसीसर का ही निवासी था। वादीगण पिता गोविन्दा के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता परतुराम ने तत्कालीन वारी हल्का से तथा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से मिलकर साज करके अपने आपको त रूप से गोविन्दा का जाईन्दा पुत्र बतलाकर जमीन जैर बहस का विरासतन नामान्तरकरण ने हक में भरवा लिया। जबकि परतुराम के पिता का नाम रामूराम था। गोविन्दा के वादीगण ाईन्दा पुत्र व पुत्रिया होने से वारिस है। नामान्तरकरण संख्या 102 विरासत के आधार पर बिना ारिसान की जांच किये तथाजमीन जैर बहस के कब्जे की जांच किये भरा गया है जो वादीगण के क हकूकों के विरूद्व अवैध व शून्य होने के कारण वादीगण नामान्तरकरण संख्या 102 के आधार र परतुराम के नाम बने तमाम राजस्व रिकार्ड से पाबन्द नहीं है। अंत में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का निराधनू के वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि गोविन्दा के रामचन्द्र, लिक्ष्मा, बनारसी व दुर्गादेवी नाम की कोई संतान नहीं हुई। वादीगण द्वारा झूठे तथ्य पेश कर दावा किया गया है। विवादीत आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है तथा काबिज काश्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा के साथ अतिरिक्त उत्तर पेश कर कथन किया कि गोविन्दा को रामू उर्फ रामूराम भी कहते थे। गोविन्दा प्रतिवादीगण के दादा थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता परतुराम काबिज काश्त हुये और परतुराम के देहान्त होने के पश्चात प्रतिवादीगण काबिज काश्त हुये जो आज तक काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा पेश किया गया सजरा गलत पेश किया गया है। वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दावा किया गया है जो काबिले खारिज योग्य है वादीगण प्रस्तुत वाद के तहत कोई सिद्वि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादीगण द्वारा पेश किये गये दावे में वादपत्र के तथ्यों एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये जवाब के तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात के बिन्दु कायम किये गये :–

1. आया वाद संख्या 2 वर्णित भूमि गत ख0न0 195/8 रकबा 38 बीधा पुख्ता जिसके हाल ख0न0 289 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं, 290 रकबा 0.05 है0, 291 रकबा 2.30 है0, 292 रकबा 7.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.61 है0 सरहद मौजा गोविन्दपुरा का खातेदार काश्तकार गोविन्दा पुत्र भींवा था।

– भार वादीगण

2. आया वादीगण उक्त गोविन्दा के जायन्दा पुत्र व पुत्रिया है व उसके वैद्य उतराधिकारी है तथा वादीगण को उक्त वाद वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने योग्य है।

– भार वादीगण

3. आया वादीगण के पिता गोविन्दा का देहान्त होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता परतुराम पुत्र रामुराम ने मृतक गोविन्दा का पुत्र बनकर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 102

के गलत रूप से अपने हक में तस्दीक करा लिया जो अवैध व गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है।

– भार वादीगण

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता परतुराम गोविन्दा का जायन्दा पुत्र है व गोविन्दा का जायज वारिस है।

– भार प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण गोविन्दा के जायन्दा पुत्र पुत्रिया नहीं है।

– भार प्रतिवादीगण

6. आया वाद वादीगण अन्दर मियाद है।

– भार वादीगण

7. आया कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा पोषणीय नहीं है।

– भार प्रतिवादीगण

8. दादरसी क्या होगी

तनकीयात कायम होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अतिरिक्त तनकीयात जोड़ने का निवेदन किये जाने पर तनकी संख्या 6 व 7 अतिरिक्त तनकी जोड़ी गई। तनकीयात कायम हो के पश्चात वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 पेश किया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 11 डाले गये। इसके अतिरिक्त वादीगण के समर्थन में श्री रामसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी अलसीसर ने अपना शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2, श्री फतेह मोहम्मद पुत्र मोईन खां निवासी अलसीसर ने अपना शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3, रतनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 2 अलसीसर ने अपना शपथ पत्र पीडब्ल्यू–4 तथा गवाह में श्रीमती संतोष देवी पत्नी भागूराम मेघवाल निवासी अलसीसर, फतेह मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी अलसीसर, श्री मदनलाल चौमाल पुत्र श्री हरिराम चौमाल जाति ब्राहमण निवासी अलसीसर तथा विजयसिंह पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी अलसीसर की ओर से अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जिरह साक्ष्यवादी वकील प्रतिवादी की ओर से की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य में कोई शपथ पत्र/गवाह पेश नहीं किया गया। लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। प्रतिवादीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस हेतु कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ ना ही प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर चाही गई सिद्वि अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। दोराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने परताराम का पिता रामूराम होने के साक्ष्य में प्रदर्श–2 वोटरलिस्ट 27.03.1980 का अवलोकन करवाया जिसमें परताराम पुत्र रामूराम दर्ज होना साबित है। प्रदर्श–1 रामचन्द्र का जाति प्रमाण पत्र जिसमें रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा दर्ज है। प्रदर्श 11 ग्राम पंचायत का वारिसनामा दिनांक 20.07.2011 तथा प्रदर्श 12 सरपंच ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य साबित नहीं हुआ कि

उप खण्ड दण्ड नायक मलसीसर (राज.)

के वादीगण संख्या 1 व 2 का पिता परतुराम गोविन्दा का जायन्दा औलाद है ना ही उनके द्वारा इस तथ्य के समर्थन में कोई दस्तावेजात पेश किये है। प्रथमदृष्टया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता परतुराम गोविन्दा की जायन्दा औलाद होना साबित नहीं होने से गोविन्दा के फौतगी नामान्तरकरण परतुराम के नाम दर्ज होना वादीगण के हक हकूको पर शून्य है। जिसे दुरूस्त किया जाकर गोविन्दा की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि गोविन्दपुरा पटवार हल्का निराधनू की सरहद में भूमि गत ख0न0 195/8 तादादी 38 बीधा जिसके हाल ख0न0 289 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं, 290 रकबा 0.05 है0, 291 रकबा 2.30 है0, 292 रकबा 7.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.61 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उप खण्ड दण्ड नायक मलसीसर (राज.)